

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र हरलाल मीणा जाति मीणा निवासी मोकलवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी) नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 596/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1192

आदेश

दिनांक - 11/09/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम मोकलवास तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 36 में वादी के भाई पप्पु की पत्नि कृष्णा का गलत दर्ज पता "दुबडा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक पता "सा. ढाणी चेच्या की तन मोकलवास" एवं खातेदार गीता देवी का गलत दर्ज पता "दुबडा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक पता "सा. ढाणी चेच्या की तन मोकलवास" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी
राजवीर सिंह यादव
नीमकाथाना
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिक्री मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र हरलाल मीणा जाति मीणा निवासी मोकलवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—वादी

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी) नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 596 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम मोकलवास तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 36 में वादी के भाई पप्पु की पत्नि कृष्णा का गलत दर्ज पता "दुबडा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक पता "सा. ढाणी चेच्या की तन मोकलवास" एवं खातेदार गीता देवी का गलत दर्ज पता "दुबडा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक पता "सा. ढाणी चेच्या की तन मोकलवास" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....
...फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत.....

ओहदा.....

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दवा		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय		
बाबत इजराय		हुक्मनामा		
हुक्मनामा		मुतफरिक		
मुतफरिक				
मीजान		मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।